न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–
पेमाराम पुत्र देवाराम जाट
निवासी भगवानपुरा तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. भंवरलाल पुत्र कालूराम जाट
2. चेनाराम पुत्र कालूराम जाट
3. रूकमादेवी पत्नी रामूराम जाट
4. भोपालराम पुत्र रामूराम जाट
5. कानाराम पुत्र रामूराम जाट
6. गणेश पुत्र रामूराम जाट
7. हणुताराम पुत्र रामूराम जाट
8. मेवाराम पुत्र मांगूराम जाट
   निवासी भगवानपुरा तह. नांवा
9. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा।

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर वकील वादी
श्री हरिराम गुर्जर वकील प्रतिवादी

मुकदमां नम्बर :– 85/2017

निर्णय दिनांक :– 18.7.17

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादीगण 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा ग्राम राजस के गत खसरा नम्बर 196, 196 मीन कुल रकबा 60–08 बीघा तथा 198 , 198 मीन रकबा 9–13 बीघा स्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 362, 363, 554, 555 कुल रकबा 11.34 हैक्टयर भूमि हैं जिसमें 1/2 हिस्सा वादी के पिता देवाराम पुत्र गोपी का वक्त जागीर के समय से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड चल आ रहे हैं वादी के पिता देवाराम का स्वर्गवास होने के बाद सम्वत 2019–2022 में वादी व उसके भाई कालू रामू व मांगू के नाम विरासत का नामान्त्करण दर्ज होकर खातेदारी चारो भाईयों के नाम दर्ज हुई सम्वत 2019–2041 तक लगतार खातेदारी दर्ज रिकार्ड रही हैं सम्वत 2041 के बाद नवीन भू– प्रबन्ध कार्यवाही शुरू हुई भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने सहवन से लिपिकिय त्रृटि से वादी का नाम छोड़ दिया जबकि उक्त विवादि भूमि में वादी का नाम पूर्व से ही दर्ज रिकार्ड था तथा वादी अपने पिता के स्वर्गवास के बाद 1/8 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में 1.4175 हैक्टयर भूमि का

18.7.17
उपखण्ड अधिकारी

खातेदार काश्तकार था व आज भी मौके पर काबिज काश्त हैं राजस्व अधिकारियों को रिकार्ड दुरूस्त करने की कहने पर उनके द्वारा इन्कार करने पर मजबुरन यह वाद पेश किया हैं वादी ने वाद पेश कर ग्राम भगवानपुरा के खसरा नम्बर 362, 363, 554, 555 कुल रकबा 11.34 हैक्टयर भूमि में 1/8 हिस्सा यानि 1. 4175 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1, 2, 4, 5, 6, व 8 ने इकबालिया जवाब जरिये अभिभाषक पेश कर वादी के वाद को पूर्णतया स्वीकार कर उक्त भूमि में वादी का नाम दर्ज किया जाता हैं तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी 3, 7, 9 के सम्मन विधिवत रूप से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर रिकार्ड के आधार पर बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किऐ जाने का निवेदन किया हैं वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्य बन्द की जाकर बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2011–2014 पेश की हैं जिसमें अनुसार ग्राम आबास के खसरा नम्बर 196, 198 कुल रकबा 70–01 बीघा भूमि देवाराम पुत्र गोपीराम, बालू पुत्र गंगा कौम जाट सा. भगवानपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं सम्वत 2019–2011 में देवाराम पुत्र गोपीराम फौत होने पर उसके स्थान पर कालू, रामू मांगू पेमा पि. देवाराम जाट के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई हैं तत्पश्चात सम्वत 2041 तक लगातार इसी प्रकार से खातेदारी दर्ज रिकार्ड रही है। खसरा मिलान के अनुसार 196, 196 मीन व 198, 198 मीन के नये खसरा नम्बर 362, 363, 554, 555 कुल रकबा 11.30 हैक्टयर कायम हुऐ हैं तथा भंवरलाल, चेनाराम पि. कालूराम, मेवाराम पुत्र मांगूराम रूकमादेवी पत्नि रामूराम , भोपालराम, कानाराम, गणेशराम, हणूताराम पि. रामूराम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई है, सजरा खानदान के अनुसार देवाराम के कालूराम, रामूराम, मांगूराम, पेमाराम पुत्र थे जिसमें से कालूराम फौत हो चुका हैं जिसके वारिसा भंवरलाल, चेनाराम एवं रामूराम फौत के वारिस रूकमादेवी, भोपालराम, कानाराम, गणेशराम, हणुताराम एवं मांगूराम फौत के वारिस मेवाराम हैं जिनका नाम इस विवादित आराजीयत में दर्ज रिकार्ड हैं लेकिन देवाराम के सबसे छोटे पुत्र पेमाराम जो वर्तमान में जीवित हैं का नाम सेटलमेन्ट के बाद दर्ज रिकार्ड नहीं हैं जो मात्र सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान जमाबन्दी में अंकित होने से रह गया हैं जबकि सम्वत 2019 से 2041 तक लगातार वादी का नाम पेमाराम जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड हैं उक्त जमाबन्दी से स्पष्ट होता हैं उक्त विवादित भूमि में देवाराम का 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी जिसके फौत होने पर उसके चारो पुत्रों के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई हैं जो सम्वत 2041 तक लगातार दर्ज रही तत्पश्चात सेटलमेन्ट होने पर नये खसरा नम्बर कायम किऐ एंव

उपखण्ड अधिकारी
नावां

रकबा बीघा के स्थान पर हैटयार में बदले जाने बाद तैयार की गई जमाबन्दी में वादी पेमाराम पुत्र देवाराम का नाम दर्ज करने से छोड़ दिया जबकि वादी देवाराम का जाईन्दा पुत्र हैं तथा इस भूमि पर काबिज काश्त हैं जिसको प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया हैं जिससे वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम आबास के खसरा नम्बर 362, 363, 554, 555 कुल रकबा 11.34 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादीगण के हक हिस्से में दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि में से कम कर वादी पेमाराम को 1.4175 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष भूमि खातेदारो की खातेदारी में यथावत रहेगी। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी नांवा, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
पेमाराम पुत्र देवाराम जाट		1. भंवरलाल पुत्र कालूराम जाट
निवासी भगवानपुरा तह. नांवा		2. चेनाराम पुत्र कालूराम जाट
		3. रूकमादेवी पत्नी रामूराम जाट
		4. भोपालराम पुत्र रामूराम जाट
		5. कानाराम पुत्र रामूराम जाट
		6. गणेश पुत्र रामूराम जाट
		7. हणुताराम पुत्र रामूराम जाट
		8. मेवाराम पुत्र मांगूराम जाट निवासी भगवानपुरा तह. नांवा
		9. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा।

मुकदमां नम्बर :– 85/2017 निर्णय दिनांक :–13.07.2017

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री सुरेन्द्र सेवर वकील वादी हरिराम गुर्जर वकील प्रतिवादी 1, 2 को जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम आबास के खसरा नम्बर 362, 363, 554, 555 कुल रकबा 11.34 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादीगण के हक हिस्से में दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि में से कम कर वादी पेमाराम को 1.4175 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष भूमि खातेदारो की खातेदारी में यथावत रहेगी। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.07.2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नांवा

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीलान			मीजान		